दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

सि.वा.(वाणिज्यिक) 844/2017 और मू.आ. 129/2019, अंतर.आ.15132/2019, अंतर.आ.15134/2019

आई.टी.डी. सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड ..... वादी

द्वारा: श्री जयंत मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री दत्तात्रेय व्यास, श्री शशांक दीक्षित, श्री राघव भाटिया, अधिवक्तागण
(मो: 8285530205)

बनाम

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमन कपूर के साथ प्रति.सं.1/आई.ओ.सी.एल. (मो: 9953676030) के अधिवक्तागण श्री अमित मेहरिया, श्री अबिनाश अग्रवाल, श्री संभव, प्रति.सं.-2 एवं 3 के अधिवक्ता श्री ऋषि कपूर
(ईमेल: admin@kapoorandcompany.com)

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मिनी पुष्करणा

<u>निर्णय</u>

06.10.2023

<u>न्या.मिनी पुष्कर्णा:</u>

<u>अंतर.आ. सं.15134/2019 (सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन, अपील दायर करने में विलंब हेतु माफी के लिए 1908 (सि.प्र.सं.)</u>

1. आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, वर्तमान अपील दायर करने में 42 दिनों के विलंब को माफ किया जाता है।

2. तदनुसार आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>मू.आ.सं. 129/2019, अंतर.आ.सं.15132/2019</u>

<u>परिचय</u>

3. वर्तमान मूल अपील वाद अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अध्याय II नियम 4 और दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 की धारा 5 **("दि.उ.न्या. नियम, 2018")** सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ पठित 1908 **("सि.प्र.सं.")** की धारा 151, के तहत प्रतिवादी सं.1 की ओर से दिनांक 26 अगस्त, 2019 के विद्वान निबंधक द्वारा वाद अर्थात् *सि.वा.(वाणि.) सं. 844/2017* में पारित आदेश को अपास्त करने हेतु दायर की गई है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से, विद्वान निबंधक ने अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान को इस आधार पर हटा दिया गया है कि यह स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र के बिना और सीमा की वैधानिक अवधि से परे दायर किया गया था।

<u>तथ्य</u>

4. वर्तमान अपील के निपटान हेतु प्रासंगिक तथ्य और तिथियाँ इस प्रकार हैं:

   4.1 **<u>24 नवंबर, 2017</u>**- वादी द्वारा 24 नवंबर, 2017 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत वाद दायर किया गया था।

4.2 **<u>11 दिसम्बर, 2017</u>**- वादी ने सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत एक आवेदन, अंतर.आ. सं.14752/2017 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रमाणित/मूल प्रतियाँ, धुंधले दस्तावेजों की टाइप की गई प्रतियां, कम मार्जिन वाले दस्तावेज, वाद-पत्र के साथ दायर फ़ॉन्ट को दायर करने में छूट की मांग की गई।

4.3 **<u>24 नवंबर, 2017</u>**- वादी ने अन्य बातों के साथ-साथ, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के आदेश XI नियम 1(4) के तहत अंतर.आ. सं.14751/2017 के साथ एक आवेदन दायर किया, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलिखित करने हेतु इस न्यायालय की अनुज्ञा मांगी गई।

4.4 **<u>12 दिसम्बर, 2017</u>**- इस न्यायालय ने अंतर.आ. सं.14751/2017 वाले वादी के आवेदन को अनुज्ञात कर लिया और वादी को अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने हेतु दस सप्ताह का समय दिया गया। वाद में समन जारी किया गया।

4.5 **<u>04 जनवरी, 2018</u>**- अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को समन भेजा गया था।

4.6 **<u>01 फरवरी, 2018</u>**- अपीलार्थी /प्रतिवादी सं.1 ने अंतर.आ. सं.1654/2018 नामक एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लिखित बयान दायर करने के लिए समय विस्तारण की मांग की गई।

4.7 **<u>05 फरवरी, 2018</u>**- इस न्यायालय द्वारा लिखित बयान दायर करने हेतु समय विस्तारण को अनुज्ञात किया गया था।

4.8 **<u>20 फरवरी, 2018</u>**- दिनांक 12 दिसंबर, 2017 के आदेश के अनुसार वादी की ओर से अतिरिक्त दस्तावेज़ दायर किए गए थे। उक्त अतिरिक्त दस्तावेज़ अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को 20 अगस्त, 2018 को दिए गए थे।

4.9 **<u>21 फरवरी, 2018</u>**- वादी ने सि.प्र.सं. की धारा 151 के तहत एक आवेदन, अंतर.आ. सं.3789/2018 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने की अनुमति मांगी गई।

4.10 **<u>22 मार्च, 2018</u>**- 22 मार्च, 2018 के आदेश द्वारा, अंतर.आ. सं.3789/2018 को इस न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया था और वादी को चार सप्ताह के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दायर करना निदिष्ट किया गया था। अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ पत्र के साथ लिखित बयान दायर करना निदिष्ट किया गया था।

4.11 **<u>04 अप्रैल, 2018</u>** - इस न्यायालय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ आदेश पारित किया गया था, जिसमें वादी को आदेश की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अर्थात् 18 अप्रैल, 2018 को या उससे पहले प्रतिवादियों को सभी दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियाँ प्रदान करना निदिष्ट किया गया था।

4.12 **<u>19 अप्रैल, 2018</u>**- वादी ने 22 मार्च, 2018 के आदेश के संदर्भ में अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए। उक्त अतिरिक्त दस्तावेज अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को उसी तिथि अर्थात् 19 अप्रैल, 2018 को दिए गए।

4.13 **<u>04 मई, 2018</u>**- अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 ने दो आवेदन दायर किये। पहले आवेदन, अंतर.आ. सं.6232/2018 को, 22 मार्च, 2018 के आदेश में उपांतरण हेतु प्रार्थना के साथ दायर किया गया था, जिसके तहत वादी के अंतर.आ. सं.3788/2018 के छूट आवेदन को अनुज्ञात किया गया था। दूसरा आवेदन, अंतर.आ. सं.6233/2018, 19 अप्रैल, 2018 को वादी द्वारा दायर अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलिखित न करने और सि.प्र.सं. आदेश XI के प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु वादी के अधिकार को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया था।

4.14 **<u>05 मई, 2018</u>**- अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया था।

4.15 **<u>10 मई, 2018</u>**- अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 ने दो आवेदन दायर किए। अंतर.आ. सं.6860/2018 को वादी को धुंधले/अपठनीय दस्तावेजों की पहचान करने और उनकी सुपाठ्य प्रतियाँ प्रदान करने के निर्देश देने हेतु प्रार्थना के साथ दायर किया गया था। अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा अंतर.आ. सं.6861/2018 भी दायर किया गया था, जिसमें 22 मार्च, 2018 के आदेश को उपांतरित करने की प्रार्थना की गई थी, जिसमें लिखित बयान के साथ स्वीकृति/प्रत्याख्यान हेतु शपथ-पत्र दायर करना निदिष्ट किया गया था।

4.16 **<u>02 जुलाई, 2018</u>**- वादी ने सि.प्र.सं. के आदेश VIII नियम 1 के तहत अंतर.आ. सं.8912/2018 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें

अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा दायर लिखित बयान को अभिलिखित न करने की प्रार्थना की गई।

4.17 **<u>26 अगस्त, 2019</u>** - विद्वान निबंधक द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, इसे अभिलेख से हटा दिया गया।

4.18 अतः वर्तमान अपील अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से विद्वान निबंधक द्वारा पारित दिनांक 26 अगस्त, 2019 के आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

<u>अपीलार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रतिविरोध</u>

5.1 अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से, यह प्रतिविरोध किया जाता है कि लिखित बयान सीमा की अवधि के भीतर दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि समन केवल 04 जनवरी, 2018 को जारी किए गए थे। अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 ने 01 फरवरी, 2018 को लिखित बयान दायर करने हेतु समय विस्तारण की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था और 05 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा उक्त विस्तारण को अनुज्ञात किया गया था। वादी द्वारा 20 फरवरी, 2018 को अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए गए थे। इसके बाद, वादी द्वारा 19 अप्रैल, 2018 को इस न्यायालय द्वारा वादी को दी गई अनुमति के संदर्भ में 22 मार्च, 2018 के आदेशानुसार अतिरिक्त दस्तावेजों का दूसरा समुच्चय दायर किया गया था। इस प्रकार, यह प्रतिविरोध किया जाता है कि 05 मई, 2018 को दायर लिखित बयान समय-सीमा के भीतर है।

5.2 सि.प्र.सं. के आदेश V नियम 2 के संदर्भ में अपीलार्थी/प्रतिवादी सं1 की सेवा उचित नहीं थी। यह प्रतिविरोध किया गया है कि समन की सेवा तभी पूर्ण होती है जब दस्तावेजों के साथ पूरा वाद-पत्र प्रतिवादी को दिया जाता है। वर्तमान मामले में, सेवा 19 अप्रैल, 2019 को ही पूर्ण हो गई थी और लिखित बयान 05 मई, 2019 को दायर किया गया था, जो कि समय अवधि के भीतर है।

5.3 अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को तीन अवसरों पर दस्तावेज दिए गए। सबसे पहले, 04 जनवरी, 2018 को वाद-पत्र के साथ, दूसरी बार 20 फरवरी, 2018 को 13,000 पृष्ठों में विस्तृत 44 से अधिक खंडों में अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ और तीसरी बार 19 अप्रैल, 2018 को। आज तक, दस्तावेजों की धुंधली/अपठनीय प्रतियों हेतु वादी द्वारा दायर कोई टाइप की गई प्रति अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को नहीं दी गई है।

5.4 धुंधले/अपठनीय दस्तावेजों के कारण, जिनकी कोई टाइप की गई प्रति दायर नहीं की गई है, ऐसे दस्तावेजों की पहचान और समझ ने न केवल अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को उक्त दस्तावेजों को समझने में भारी कठिनाई उत्पन्न की है, अपितु इसके साथ गंभीर अन्याय भी हुआ है, क्योंकि अतिरिक्त दस्तावेजों की सुपाठ्य और उचित प्रतियाँ दायर करना वादी का कर्तव्य था।

5.5 दस्तावेजों की सुपाठ्य प्रतियों के बिना, अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा दस्तावेजों का कोई प्रकटीकरण और निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, और इसके बिना स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर नहीं किया जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी दस्तावेजों का प्रत्याख्यान करते हुए स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र तैयार रखा गया है क्योंकि अधिकांश दस्तावेज पढ़ने योग्य और सुपाठ्य नहीं हैं।

5.6 किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 पर समन की सेवा तब तक पूरी मानी जा सकती है जब तक अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1

को 19 अप्रैल, 2018 को संपूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करा दिए जाते। इससे भी अधिक, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जैसा कि आदेश XI नियम 3 और 4 के तहत अनिवार्य है, वाद-पत्र दायर करते समय वादी अपनी शक्ति में उपलब्ध दस्तावेजों, कब्जे और अपनी शक्ति में न आने वाले दस्तावेजों को शपथ पर घोषित करने में विफल रहा है।

5.7 ***एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*** के मामले में 12 फरवरी, 2019 का निर्णय, जैसा कि वादी द्वारा संदर्भित किया गया है, तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में अतिरिक्त दस्तावेजों का कोई सवाल ही नहीं था, मौजूदा मामले के विपरीत जहां बाद में अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए गए थे।

इसके अलावा, वादी द्वारा दायर किए गए अतिरिक्त दस्तावेज़ न केवल विशालकाय थे, अपितु बहुत धुंधले और अपठनीय भी थे।

5.8 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 (3) के आधार पर, जब भी दि.उ.न्या. नियम, 2018 या सि.प्र.सं. में राज्य संशोधन में निहित प्रावधान वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के साथ विरोधाभासी होते हैं, तो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के प्रावधान अभिभावी होंगे। सि.प्र.सं. प्रतिवादी को अपना लिखित बयान दायर करते समय स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर करने हेतु बाध्य नहीं करती। यद्यपि, बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र प्रतिवादी सं.1 के पास तैयार है और चूंकि दस्तावेजों के अपठनीय होने से इंकार किया गया है, इसलिए इसे दायर करने से कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

5.9 दि.उ.न्या. नियम, 2018 के अध्याय VII का नियम 3 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI के विरोध में है। दि.उ.न्या. नियम, 2018 के अध्याय VII के नियम 3 के अनुसार स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र लिखित बयान के साथ दायर किया जाना अपेक्षित है, जिसके बिना लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. का आदेश XI, प्रकटीकरण और निरीक्षण के अभिवचनों को पूरा करने की प्रक्रिया का एक अंतर्निहित हिस्सा बनाता है। यह तभी होता है जब प्रकट किए गए दस्तावेजों का प्रकटीकरण और निरीक्षण दोनों पूरा हो जाता है, कि दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर किया जाना चाहिए।

5.10 अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 ने हर समय तत्परतापूर्वक कार्य किया है। वादी द्वारा 13,000 से अधिक पृष्ठों के धुंधले/सुपाठ्य दस्तावेजों को दायर करने के रूप में रिष्टि का प्रयास किया गया है। केवल टाइप की गई/सुपाठ्य प्रतियाँ दायर करने पर ही अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 न्यायसंगत और उचित रूप से मामले का प्रतिवाद कर सकता है।

5.11 अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है: -

(i) नहर एंटरप्राइज बनाम हैदराबाद ऑलविन लिमिटेड और अन्य, (2007) 9 एससीसी 466

(ii) गिजेश बेदी बनाम प्रवीण गोयल एवं अन्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन एमपी 9347

(iii) सुनील अलघ बनाम शिवराज पुरी और अन्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 12368

<u>वादी की ओर से प्रतिविरोध</u>

6. वहीं वादी की ओर से विद्वान निबंधक द्वारा पारित दिनांक 26 अगस्त 2019 के आक्षेपित आदेश को न्यायसंगत ठहराया गया है।

6.1 12 दिसंबर, 2017 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने वर्तमान वाद में समन जारी किया। इसके अलावा, वादी के अंतर.आ. सं.14751/2017 को इस न्यायालय ने अनुज्ञात कर दिया, जिससे अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने हेतु दस सप्ताह का समय मिल गया, जो वाद में अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को प्रतियाँ देने के बाद 20 फरवरी, 2018 को दायर किए गए थे।

6.2 अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 ने वाद का समन स्वीकार करते हुए 04 जनवरी, 2018 को प्राप्त किया। लिखित बयान 05 मई, 2018 को स्वीकार किया गया, अर्थात् 120 दिन से अधिक में अर्थात् 121वें दिन।

6.3 यह प्रतिविरोध किया गया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 ने लिखित बयान दायर करने हेतु समय विस्तारण की मांग करते हुए अंतर.आ. सं.1654/2018 दायर किया था, जिसे इस न्यायालय ने 05 फरवरी, 2018 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया था।

6.4 वादी ने 21 फरवरी, 2018 को अंतर.आ. सं.3789/2018 दायर कर आगे अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने की अनुज्ञा मांगी। इस न्यायालय ने 22 मार्च, 2018 को उक्त आवेदन की अनुज्ञा दे दी, जिससे वादी को अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने हेतु चार सप्ताह का समय और मिल गया। उक्त अतिरिक्त दस्तावेज़ वादी द्वारा 19 अप्रैल, 2018 को अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रतियाँ भेजने के बाद दायर किए गए थे।

6.5 22 मार्च, 2018 के आदेश के तहत, प्रतिवादीगण को चार सप्ताह के भीतर स्वीकृति/प्रत्याख्यान के अपने शपथ-पत्र दायर करना निदिष्ट किया गया था। अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को विशेष रूप से दिनांक 05 फरवरी, 2018 के आदेश के संदर्भ में स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ- पत्र के साथ अपना लिखित बयान दायर करने हेतु निदिष्ट किया गया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया है।

6.6 अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 दि.उ.न्या. नियम, 2018 के अध्याय VII नियम 3 के संदर्भ में दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान करने का अपना शपथ-पत्र दायर करने में विफल रहा है। इस प्रकार, अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 का लिखित बयान अभिलिखित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि अपीलार्थी 120 दिनों के भीतर लिखित बयान दायर करने में विफल रहा है, इसलिए इसे अभिलिखित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, चूंकि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 वादी द्वारा दायर दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर करने में विफल रहा है, इसलिए वादी द्वारा दायर दस्तावेजों को स्वीकृत माना जाएगा।

6.7 वादी की ओर से निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है:-

(i) चारु अग्रवाल बनाम आलोक कालिया और अन्य, एमएएनयू/डीई/1242/2023

(ii) राम सरूप लुगानी और अन्य बनाम निर्मल लुगानी और अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 1353

(iii) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2001) 8 एससीसी 470

(iv) ***पदम सेन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,एमएएनयू/एससी/0065/1960***

(v) ***एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम के.एस. चमनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 226***

(vi) ***रघुनाथ राय बरेजा और अन्य, बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य,(2007) 2 एससीसी 230***

(vii) ***मनोहर लाल चोपड़ा बनाम राय बहादुर राव राजा सेठ हीरालाल, एआईआर 1962 एससी 527***

(viii) ***विनोद सेठ बनाम देविंदर बजाज और अन्य, 2010 (8) एससीसी 1***

(ix) ***ओडियन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड, निर्णय दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 में सि.वा. (वाणि) सं.1261/2018***

(x) ***मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं अन्य बनाम निसार खान, 2003 (4) एससीसी 595***

(xi) ***इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंक., एआईआर 2005 एससी 514***

(xii) ***प्रिंटपैक मशीनरी लिमिटेड बनाम मैसर्स जय काय पेपर कंजेस्टर्स, एआईआर 1979 दिल्ली 217***

(xiii) ***आकाश गुप्ता बनाम फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस, 127 2006 डीएलटी 188***

(xiv) ***पी. राधा बाई और अन्य बनाम पी. अशोक कुमार और अन्य, एआईआर 2018 एससी 5013।***

(xv) ***सिस्टम अरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम ईटीए इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, निर्णय दिनांक 29 नवंबर, 2016 में सि.वा. (वाणि) 56/2016***

(xvi) ***गल्फ डी.टी.एच. एफ.जेड. एल.एल.सी. बनाम डिश टीवी इंडिया लिमिटेड और अन्य, 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 5005***

(xvii) ***ओकू टेक प्राइवेट लिमिटेड बनाम संगीत अग्रवाल और अन्य 2016 एससीसी ऑनलाइन डेल 6601***

(xviii) ***यूनिलिन बेहीर बीवी बनाम बालाजी एक्शन बिल्डवेल, 2019 SCC ऑनलाइन डेल 8498***

<u>न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. इस न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने वाले मुद्दे दोतरफा हैं। सबसे पहले, क्या अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान 120 दिनों की वैधानिक अवधि की सीमा के भीतर दायर किया गया है। दूसरा, क्या अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान को अभिलिखित किया जा सकता है, जब दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र उसके साथ दायर नहीं किया गया है।

9. अभिलेख पर अभिवचनों और दस्तावेजों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि वर्तमान मामले में 04 जनवरी, 2018 को अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को समन भेजा

गया था। इसके बाद, अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 ने लिखित बयान दायर करने हेतु समय विस्तारण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे इस न्यायालय ने 05 फरवरी, 2018 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया। इसके बाद, इस न्यायालय की अनुमति से, वादी ने 20 फरवरी, 2018 को अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए, जिन्हें अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को 20 फरवरी, 2018 को ही दे दिया गया।

10. इसके बाद, वादी ने अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने हेतु एक और आवेदन दायर किया। इसके अलावा अतिरिक्त दस्तावेज़ दायर करने हेतु उक्त आवेदन को इस न्यायालय द्वारा 22 मार्च, 2018 के आदेश के तहत अनुज्ञात किया गया था और वादी को उक्त आदेश के पारित होने के चार सप्ताह के भीतर अतिरिक्त दस्तावेजों का दूसरा समुच्चय दायर करना निदिष्ट किया गया था। इस प्रकार, वादी की ओर से 19 अप्रैल, 2018 को अतिरिक्त दस्तावेज़ दायर किए गए, जो 19 अप्रैल, 2018 को अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को दिए गए थे। इसके बाद, 05 मई, 2018 को अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा लिखित बयान दायर किया गया।

11. जहां तक समन की सेवा का संबंध है, ***नहर एंटरप्राइजेज बनाम हैदराबाद ऑल्विन लिमिटेड और अन्य*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वाद-पत्र की प्रति और उसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों का दिया जाना अनिवार्य है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

> *"**8.** विद्वान अधिवक्ता सही प्रतीत होते हैं। **जब किसी प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने और अपना लिखित बयान दायर करने हेतु समन भेजा जाता है, तो सि.प्र.सं. के आदेश 5 नियम 2 के संदर्भ में, न्यायालय की ओर से वाद-पत्र और उसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेजों की एक प्रति भेजना अनिवार्य है।***
>
> ***9.** सि.प्र.सं. का आदेश 5 नियम 2 निम्नानुसार पढ़ा जाता है:*

"2. समन के साथ संलग्न वाद-पत्र की प्रति।—प्रत्येक समन के साथ वाद-पत्र की एक प्रति संलग्न होगी।"

10. ***<u>विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रश्न को संबोधित नहीं किया है कि वाद-पत्र और अन्य दस्तावेजों की प्रति के अभाव में एक प्रतिवादी अपना लिखित बयान कैसे दायर कर पाएगा।</u>*** *इसके अलावा, हमारी राय में, न्यायालय ने एक स्पष्ट त्रुटि की क्योंकि यह इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि अपीलार्थी को उसकी उपस्थिति हेतु तय की गई तिथि के बाद समन दिया गया था, उसकी ओर से उसकी उपस्थिति और लिखित बयान दायर करने हेतु एक और तिथि तय करना अनिवार्य था और वादी को नए समन की सेवा हेतु कदम उठाने को निदिष्ट किया जाना अनिवार्य था। यह विधिक स्थिति सि.प्र.सं. के आदेश 9 नियम 6 (1) (ग) के प्रावधानों को देखते हुए स्पष्ट है, जो इस प्रकार है:*

"6. (1) (ग) जब समन दिया जाता है किंतु नियत समय में नहीं--यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि समन प्रतिवादी को दिया गया था, किंतु समन में नियत दिन पर उसे उपस्थित होने और उत्तर देने के योग्य पर्याप्त समय में नहीं, तो न्यायालय वाद की सुनवाई को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले भविष्य के दिन के लिए स्थगित कर देगा, और प्रतिवादी को दिए जाने वाले ऐसे दिन की सूचना देगा।

(ज़ोर दिया गया)

12. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एक वाद-पत्र के साथ प्रतिवादी की सेवा हेतु वादी की ओर से दायर किए गए दस्तावेजों का पूरा समुच्चय होना अपेक्षित है। वर्तमान मामले में, यद्यपि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को 04 जनवरी, 2018 को समन भेजा गया था, लेकिन इसे पूर्ण सेवा नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि वादी द्वारा पहले 20 फरवरी, 2018 को और दूसरी बार 19 अप्रैल, 2018 को अतिरिक्त दस्तावेज दायर किए गए थे। इसलिए, केवल जब 19 अप्रैल, 2018 को वादी द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को दस्तावेजों के पूरे समुच्चय की आपूर्ति की गई थी कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की सेवा पूरी हो गई थी।

13. इसी प्रकार, ***सुनील अलघ बनाम शिवराज पुरी और अन्य*** के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वाद में सेवा तब तक पूरी नहीं कही जा सकती जब तक कि प्रतिवादियों को वाद की पूरी कागजी किताब उपलब्ध नहीं करा दी जाती। इस प्रकार, इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:

> ***"4. मेरी राय में वाद में प्रतिवादी सं.1 की सेवा तब तक पूरी नहीं कही जा सकती जब तक कि वाद की पूरी कागजी किताब प्रतिवादी सं.1 को उपलब्ध नहीं करा दी जाती। निश्चित रूप से कानून में यह स्थिति नहीं हो सकती है कि भले ही प्रतिवादी को वाद की कागजी किताब उपलब्ध नहीं कराई गई हो, फिर भी लिखित बयान दायर करने के लिए 120 दिनों की अवधि शुरू हो जाएगी, जिसमें विफल रहने पर लिखित बयान दायर करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।***
>
> ***5.दिनांक 10.04.2007 के आदेश से, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी सं.1 के अधिवक्ता को वादी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.04.2017 को वाद और दस्तावेजों की प्रति प्रदान की गई थी।*** *केवल इसलिए कि ऐसी प्रार्थना पहले नहीं की गई थी, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि प्रतिवादी सं.1 को दिनांक 10.04.2017 से पहले कागज़ पुस्तिका की प्रति प्राप्त हो गई होगी।* ***इसलिए 120 दिनों की अवधि आवश्यक रूप से दिनांक 10.4.2017 को ही शुरू होगी, इससे पहले नहीं।"***
>
> *(ज़ोर दिया गया)*

14. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 को सेवा केवल 19 अप्रैल, 2018 को पूरी होने के बारे में कहा जा सकता है, जब वादी द्वारा दायर किए गए अतिरिक्त दस्तावेजों को उसे दिया गया था। इसे देखते हुए, 05 मई, 2018 को अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान समय-सीमा के भीतर था।

15. यह हमें दूसरे मुद्दे पर लाता है जो वर्तमान मामले में उद्भूत होता है कि क्या दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र के अभाव में अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान को अभिलिखित किया जा सकता है।

16. दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को दायर करने के संबंध में, दि.उ.न्या. नियम, 2018 के अध्याय VII, नियम 3 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वादी के दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र के बिना, प्रतिवादीगण के लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जाएगा। उक्त नियम इस प्रकार है:-

> *"3. **लिखित बयान के साथ दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ पत्र।-** लिखित बयान के साथ, प्रतिवादी को वादी द्वारा दायर दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ पत्र भी दायर करना होगा, जिसके बिना लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जाएगा। लिखित बयान के साथ, प्रतिवादी प्रस्तावित परिप्रश्न के साथ-साथ वादी के परीक्षण के लिए परिप्रश्न हेतु आवेदन, प्रकटीकरण हेतु आवेदन, और ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु आवेदन दायर करने का हकदार होगा।"*

17. दूसरी ओर, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 4(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक पक्ष समापन और निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर या न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी बाद की तिथि के भीतर प्रकटित सभी दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का विवरण प्रस्तुत करेगा। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 4(5) में आगे प्रावधान है कि स्वीकृति और प्रत्याख्यान के बयान के समर्थन में एक शपथ-पत्र दायर किया जाएगा जो बयान की सामग्री की शुद्धता की पुष्टि करेगा। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 4(1) और नियम 4(5) को इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"***आदेश XI***
दस्तावेज़ों का प्रकटन, प्रकटीकरण और निरीक्षण

*4. **दस्तावेजों की स्वीकृति और प्रत्याख्यान।**- (1) प्रत्येक पक्ष निरीक्षण पूर्ण होने के पंद्रह दिनों के भीतर या न्यायालय द्वारा तय की गई किसी भी बाद की तिथि के भीतर प्रकट किए गए और जिनका निरीक्षण पूर्ण हो चुका है, सभी दस्तावेजों की स्वीकृति या प्रत्याख्यान का विवरण प्रस्तुत करेगा।*

XXXXX

(5) स्वीकृति और प्रत्याख्यान के विवरण के समर्थन में एक शपथ-पत्र दायर किया जाएगा जिसमें कथन की विषय-वस्तु की सत्यता की पुष्टि की जाएगी।

18. इस प्रकार, एक ओर दि.उ.न्या. नियम, 2018 के अध्याय VII नियम 3 में स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र लिखित बयान के साथ दायर करना अपेक्षित है, जिसके बिना लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI नियम 4 में प्रावधान है कि केवल तभी जब प्रकट किए गए दस्तावेजों का प्रकटन और निरीक्षण पूर्ण हो जाए, दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर किया जाना चाहिए। यद्यपि, अब यह अनिर्णीत विषय है कि यदि दि.उ.न्या. नियम, 2018 और सि.प्र.सं. के प्रावधानों के बीच कोई विरोधाभास है, तो दि.उ.न्या. नियम, 2018 का सि.प्र.सं. पर अध्यारोही प्रभाव पड़ेगा।

19. इस प्रकार, ***राम सरूप लुगानी और अन्य बनाम निर्मल लुगानी और अन्य*** के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि दि.उ.न्या. नियम, 2018 सि.प्र.सं. पर लागू होंगे। इसे इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है:-

*"**28.** हमारी राय में, श्री मेहता द्वारा देश राज (पूर्वोक्त) पर निर्भरता भी अनुपयुक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश VIII के नियम 1 में संलग्न परंतुक 2 को पढ़ने से पता चलेगा कि उक्त नियम केवल निदेशिका है और आज्ञात्मक नहीं है, अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने उस*

मामले में विलंब को माफ करने से इंकार कर दिया है। वास्तव में, उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों पर इस कारण से लागू नहीं होता है कि उक्त निर्णय में, दि.उ.न्या. नियमों के अध्याय VII के नियम 5 की परिधि और प्रभाव से निपटने का कोई अवसर नहीं था। ***किसी भी स्थिति में, दि.उ.न्या. नियमों का सि.प्र.सं. पर अध्यारोही प्रभाव पड़ेगा।*** *विशेष रूप से, यह संहिता किसी भी प्रतिकृति को दायर करने के लिए नहीं है। आदेश VI, नियम 1 "अभिवचनों" का वर्णन करता है जिसका अर्थ है वाद-पत्र या लिखित कथन। यह दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 है जो प्रतिकृति दायर करने हेतु समय सीमा प्रदान करता है और चूंकि उक्त नियम प्रक्रिया को विनियमित करते हैं, इसलिए इसे संहिता पर अभिभावी होना होगा। हम डी.डी.ए. बनाम के.आर. बिल्डर्स (प्रा.) लिमिटेड में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं, जिसे (2005) 81 डी.आर.जे. 708 के रूप में अभिलिखित किया गया है और एच.टी.आई.एल. कॉर्पोरेशन, बी.वी. बनाम अजय कोहली, (2006) 90 डी.आर.जे. 410 के रूप में अभिलिखित किया गया है, जहां यह निम्नानुसार देखा गया था:*

> *"**6.** इस प्रश्न पर कि क्या सि.प्र.सं. या मूल पक्ष नियम लागू होंगे, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने डी.डी.ए. बनाम के.आर. बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, (2005) 81 डीआरजे 708 (डीबी) के हालिया मामले में विचार किया था।* ***खण्ड पीठ के निष्कर्ष ने विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दृष्टिकोण का समर्थन किया कि इस न्यायालय के मूल पक्ष में दायर किए गए वाद उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा सि.प्र.सं. के प्रावधानों के अपवर्जन में शासित होंगे, जहां भी इन नियमों द्वारा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है और इस न्यायालय के पास 90 दिनों से भी अधिक लिखित बयान दायर करने हेतु समय विस्तारण की शक्ति है।*** *यद्यपि, खण्ड पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष नियम) के अध्याय IV का नियम 3, जैसा कि तब था, याचना पर दिए जाने वाले अंतहीन विस्तारण पर विचार नहीं करता है। नियम 3 निम्नानुसार प्रदान किया गया है:*
>
> > *"3. लिखित बयान दायर करने हेतु समय विस्तारण - आमतौर पर, लिखित बयान दायर करने हेतु प्रतिवादी को एक से अधिक समय विस्तारण का अवसर नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि दूसरा या कोई और विस्तारण केवल पर्याप्त जानकारी देते हुए लिखित रूप में किए गए आवेदन पर ही दिया जा सकता है जो इस प्रकार के विस्तारण हेतु पर्याप्त आधार निर्धारित करता है और, यदि अपेक्षित हो, एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित।"*

7. खण्ड-पीठ ने बताया कि ऊपर उद्धृत नियम के अनुसार, लिखित बयान दायर करने हेतु समय का केवल एक विस्तारण दिया जाना था और दूसरा या आगे का विस्तारण केवल पर्याप्त आधार निर्धारित करते हुए लिखित रूप में किए गए आवेदन पर ही दिया जा सकता है। यह भी बताया गया कि इस परंतुक में अभिव्यक्ति 'कोई अन्य विस्तारण' याचना पर अंतहीन विस्तारण पर विचार नहीं करती है और 'किसी भी अन्य विस्तारण' को एक प्रतिबंधित व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए। स्थिति अब बदल गई है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष नियम) में भी संशोधन किया गया है। जो संशोधन दिनांक 09.01.2006 को प्रभावी हुआ वह अब इस प्रकार है:

> *"**3. लिखित बयान दायर करने हेतु समय विस्तारण।**- जहां प्रतिवादी नियम 2 (ii) में बताए गए 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित बयान दायर करने में विफल रहता है, उसे ऐसे किसी अन्य दिन पर इसे दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी, जैसा कि न्यायालय द्वारा लिखित रूप में किए गए आवेदन पर निदिष्ट किया जा सकता है, इस प्रकार के विस्तारण हेतु पर्याप्त आधार निर्धारित करना और, यदि आवश्यक हो, एक शपथ-पत्र द्वारा समर्थित, किंतु ऐसा दिन समन की सेवा से 90 दिनों के बाद नहीं होगा।"*

8. इस संशोधन को देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष नियम) लिखित बयान दायर करने हेतु समान समय-सारणी प्रदान करता है, इसलिए, लिखित बयान 30 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है और उसके बाद एक शपथ-पत्र में इस प्रकार के विस्तारण हेतु पर्याप्त आधार दर्शाया जा सकता है, परंतु ऐसा विस्तारण सेवा की तिथि से 90 दिनों के बाद का नहीं होगा।"

(ज़ोर दिया गया)

***29.** प्रिंट पाक मशीनरी लिमिटेड बनाम जय के पेपर्स कन्वर्टर्स में, एआईआर 1979 डेल 217 के रूप में अभिलिखित किया गया, 1976 में संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश 37 की योजना और दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 1967 के अध्याय XV के प्रावधानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु इसके समक्ष रखे गए संदर्भ का जवाब देते हुए जो "संक्षिप्त वाद" से संबंधित है, इस न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि नियम संहिता पर एक अग्रता लेंगे और इसे निम्नानुसार देखा गया: -*

> *"**8.** मेरे विचार से यह प्रश्न संहिता की धारा 129 द्वारा वास्तव में समाप्त हो गया है। यह पढ़ा जाता है:*

" इस संहिता में किसी भी बात के होते हुए, कोई भी उच्च न्यायालय न्यायिक आयुक्त का न्यायालय न होने के कारण ऐसे नियम बना सकता है जो पत्र पेटेंट या आदेश या अन्य कानून के साथ असंगत न हों, जो इसे अपने मूल सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु स्थापित करते हैं, जैसा कि वह ठीक समझे, और इसमें निहित कुछ भी इस संहिता के प्रारंभ में लागू ऐसे किसी भी नियम की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि समापन शब्द इस न्यायालय के मूल पक्ष के नियमों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, क्योंकि वे संहिता के प्रारंभ में "प्रवृत्त" नहीं थे। परंतु, प्रारंभिक शब्द "इस संहिता में किसी भी बात के होते हुए " स्वयं-प्रभावी हैं, और संहिता को किसी भी समय इसके मूल पक्ष हेतु उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन कर देते हैं। ***धारा के उन दो हिस्सों का संचयी प्रभाव उच्च न्यायालय के मूल नियमों को अस्पर्श छोड़ना है चाहे वह 1908 से पहले या बाद में बनाया गया हो। चूंकि धारा 2 (1) कहती है कि "संहिता" में नियम शामिल हैं, इसलिए मूल पक्ष नियम संहिता के मुख्य भाग और पहली अनुसूची दोनों पर प्रबल होंगे। इसलिए, आदेश 37 नियम 1 (क) में कथन कि "यह आदेश लागू होगा..... उच्च न्यायालयों को धारा 129 के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।***

9. *ये प्रस्ताव पुराने और सुस्थापित हैं। नेवाब बेहराम जंग बनाम हाजी सुल्तान अली शुस्त्री, आईएलआर 27 बॉम 572 (1) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि, धारा 129 के मद्देनजर, संहिता में एक नियम लागू नहीं होता क्योंकि यह बॉम्बे उच्च न्यायालय नियमों के एक नियम के साथ असंगत था। इसी प्रकार, विरुपाक्ष राव नायडू बनाम एम. रंगनायकी अम्मल, एआईआर 1925 मैड 1132 (2) में, यह कहा गया था:*

"संहिता की धारा 129 उच्च न्यायालय को मूल पक्ष की प्रक्रिया को विनियमित करने, नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है और संहिता में कुछ भी ऐसे नियमों को प्रभावित नहीं करेगा। इसका प्रभाव यह है कि यदि उच्च न्यायालय, मूल पक्ष और संहिता के नियम असंगत हैं, तो नियम अभिभावी होते हैं।

कलकत्ता के कई मामले समान हैं: उमेशचंद्र बनर्जी बनाम कुंजीलाल विश्वास, ए.आई.आर. 1930 कैल 685 (3), ग्वाल दास सिदानी बनाम लच्छमी चंद झावर, ए.आई.आर. 1930 कैल 324 (4);

पुनः: राम दयाल डे, ए.आई.आर. 1932 कैल 1 (5); शॉ एंड कंपनी बनाम बी. शामलदास और कंपनी, ए.आई.आर. 1954 कैल 369 (6) और मानिकचंद दुर्गाप्रसाद बनाम प्रताबमुल्ल रामेश्वर, ए.आई.आर. 1961 कैल 483 (7)। और, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी यही कहता है: मूलचंद बनाम कामता प्रसाद, ए.आई.आर. 1961 सभी 595 (8)।

11. *इस प्रकार धारा 129 से निकाले गए निष्कर्ष पर संहिता की धारा 4(1) से भी पहुंचा जा सकता है, यद्यपि उस तरीके से नहीं जैसा तर्क में सुझाया गया था। संहिता की धारा 4(1) में प्रावधान है कि:*

> *"इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, इस संहिता की किसी भी बात को इस समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष क्षेत्राधिकार या प्रदत्त शक्ति, या किसी विशेष विधि द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा।*

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी प्रक्रिया और पद्धति को विनियमित करने हेतु बनाए गए नियम एक 'विशेष कानून' हैं क्योंकि वे एक विशेष विषय से संबंधित हैं: *भारत संघ बनाम राम कंवर, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 247 (11); पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लाहौर बनाम आधिकारिक समापक, पंजाब कॉटन प्रेस कंपनी लिमिटेड (परिसमापन में), ए.आई.आर. 1941 लाह 257 (12) और डोनेपुडी बनाम आर हनुमाचार्युलु के श्री ऑडिनारायण स्वामी और अंजनेयस्वामी मंदिरों के देवता, ए.आई.आर. 1962 ए.पी. 245 (13). फिर भी, दिल्ली उच्च न्यायालय के मूल पक्ष नियमों को संहिता की धारा 4(1) द्वारा संरक्षित नहीं किया जाएगा।* ***केवल वे 'विशेष कानून' संरक्षित किए गए हैं जो 'अभी प्रवृत्त' हैं, जिसका अर्थ है 1908। लेकिन, वे 'फिलहाल लागू' कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया का एक 'विशेष रूप' हैं, और इसे उस खाते पर आच्छादित किया जाएगा।"***

(ज़ोर दिया गया)

20. इसी प्रकार का दृष्टिकोण कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नियम सि.प्र.सं. पर लागू होंगे, ***आकाश गुप्ता बनाम फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस*** के मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा लिया गया था।

21. यह स्थापित कानून है कि विशेष कानून और सामान्य कानून के बीच विरोधाभास की स्थिति में, विशेष कानून हमेशा प्रभावी होना चाहिए। ***इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम मोटोरोला इंक.*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है: -

> *"13. **धारा 129 एक सर्वोपरि खंड से प्रारंभ होती है और इसके विपरीत कुछ इंगित करती है। कम से कम जहां तक चार्टर्ड उच्च न्यायालयों का संबंध है, धारा 129 उन्हें अपनी प्रक्रिया के विनियमन के संबंध में नियम बनाने की शक्ति के साथ विनिहित करती है, जो स्वयं सि.प्र.सं. के साथ असंगत हो सकती है, जब तक कि ऐसे नियम उच्च न्यायालयों की स्थापना करने वाले पत्र पेटेंट के अनुरूप हों। यह धारा इन शब्दों के साथ भी समाप्त होती है "इसमें निहित कुछ भी इस संहिता के प्रारंभ में लागू ऐसे किसी भी नियम की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा"**.*
>
> ***XXX XXX XXX***
>
> *44. मणिकचंद दुर्गाप्रसाद बनाम प्रताबमुल्ल रामेश्वर [एआईआर 1961 कैल 483 (एफबी)] मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ को पत्र पेटेंट के खंड 37 के संबंध में इसी विवाद पर विचार करने का अवसर मिला और कहा गया: (एआईआर पृष्ठ 489, पैरा 13)*
>
> > *"पत्र पेटेंट के खंड 37 के परंतुक में निहित न्यायालय की शक्ति पर निर्बंधन यह है कि उस खंड के तहत बनाए गए नियम, 'जहाँ तक संभव हो' सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए। जैसा कि वाक्यांश "जहाँ तक संभव हो" इंगित करता है कि यह निर्बंधन केवल निदेशिका है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पत्र पेटेंट के खंड 37 के तहत नियम तैयार करने में इस न्यायालय के मार्गदर्शन के उद्देश्य से हैं। **परिणामस्वरुप, यदि खंड 37 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कोई भी नियम सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा दी गई शक्ति के अलावा असंगत है या कोई अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है, तो खंड 37 के तहत बनाया गया नियम सिविल प्रक्रिया संहिता के संबंधित प्रावधानों पर लागू होगा।***
>
> *हमारा मानना है कि पत्र पेटेंट के खंड 37 में "जहाँ तक संभव हो" शब्दों की व्याख्या करते समय अपनाया जाने वाला यह सही दृष्टिकोण है। यह व्याख्या सि.प्र.सं. की धारा 129 में प्रयुक्त शब्दों के आयाम के अनुरूप होगी जिसके द्वारा उच्च न्यायालय को अपने मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में अपनी प्रक्रिया को*

विनियमित करने हेतु पत्र पेटेंट के साथ असंगत न होने वाले नियम बनाने का अधिकार है जैसा वह उचित समझेगा।"

XXX XXX XXX

48. अंत में, श्री जेठमलानी द्वारा यह तर्क दिया गया कि पत्र पेटेंट, और मूल पक्ष पर इसकी प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम, अधीनस्थ विधान थे और इसलिए, बेहतर विधान, अर्थात्, सिविल प्रक्रिया संहिता के मूल प्रावधान का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करने में दो कठिनाइयाँ हैं। सबसे पहले, सि.प्र.सं. की धारा 2(18) "नियमों" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है "पहली अनुसूची में निहित और धारा 122 या धारा 125 के तहत बनाए गए नियम और प्रपत्र"। चार्टर्ड उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों के संदर्भ की स्पष्ट अनुपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि वे नियम "नियम" नहीं हैं जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में परिभाषित किया गया है। दूसरे, यह नहीं है इस तर्क को स्वीकार करना संभव है कि पत्र पेटेंट और उसके तहत बनाए गए नियम, जो धारा 129 द्वारा मान्यता प्राप्त और विशेष रूप से संरक्षित हैं, को अधीनस्थ स्थिति में डाल दिया गया है, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिविरोध किया है। हम पी.एस. सथप्पन बनाम आंध्रा बैंक लिमिटेड [(2004) 11 एस.सी.सी. 672: जे.टी. (2004) 8 एस.सी. 464] मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ की टिप्पणियों का संदर्भ उपयोगी रूप से ले सकते हैं। पत्र पेटेंट के संदर्भ में, संविधान पीठ ने यही कहा है : (एस.सी.सी. पृष्ठ 709, पैरा 32)

"32[148]. आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पत्र पेटेंट के खंड 44 से पता चलता है कि पत्र पेटेंट संशोधन और परिवर्तन के अधीन थे। यह प्रस्तुत किया गया कि यह दर्शाता है कि पत्र पेटेंट कानून का एक अधीनस्थ या सहायक अंश था। निस्संदेह, खंड 44 पत्र पेटेंट में संशोधन या परिवर्तन की अनुज्ञा देता है, लेकिन तब कौन सा विधान संशोधन या परिवर्तन के अधीन नहीं है? सि.प्र.सं. भी संशोधन और परिवर्तन के अधीन है। वास्तव में इसमें कई अवसरों पर संशोधन किया गया है। एकमात्र अपरिवर्तनीय प्रावधान ही हमारे संविधान की मूलभूत संरचना हैं। केवल इसलिए कि संशोधन का प्रावधान है, इसका अर्थ यह नहीं है कि संशोधन या विपरीत प्रावधान के अभाव में, पत्र पेटेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यह कहना कि पत्र पेटेंट विधान का एक अधीनस्थ अंश है, पत्र पेटेंट की वास्तविक प्रकृति को समझना नहीं है। जैसा कि विनीता खानोलकर मामले में अभिनिर्धारित किया गया है [विनीता एम. खानोलकर बनाम प्राग्ना एम. पाई, (1998)1 एस.सी.सी. 500: जे.टी. (1997) 9 एस.सी. 490] और शारदा देवी मामले [शारदा देवी बनाम बिहार राज्य, (2002) 3 एस.सी.सी. 705 : जे.टी. (2002) 3 एस.सी. 43] एक लेटर्स पेटेंट उच्च न्यायालय का चार्टर है। जैसा कि शाह बाबूलाल खिमजी मामले में अभिनिर्धारित किया गया है [शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कानिया, (1981) 4

एससीसी 8: (1982) 1 एस.सी.आर. 187] पत्र पेटेंट एक विशिष्ट कानून है जिसके तहत एक उच्च न्यायालय अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। यह कोई अधीनस्थ विधान नहीं है। जैसा कि उपरोक्त दो मामलों में उपवर्णित है, एक पत्र पेटेंट को निहितार्थ से बाहर नहीं किया जा सकता है। ***इसके अलावा यह स्थापित कानून है कि एक विशेष कानून और एक सामान्य कानून के बीच विशेष कानून हमेशा प्रभावी रहेगा। पत्र पेटेंट संबंधित उच्च न्यायालय हेतु एक विशेष कानून है। सिविल प्रक्रिया संहिता सभी न्यायालयों पर लागू एक सामान्य कानून है। यह सुस्थापित कानून है कि विशेष कानून और सामान्य कानून के बीच विरोधाभास की स्थिति में, विशेष कानून सदैव अभिभावी होना चाहिए।*** *हमें पत्र पेटेंट और धारा 104 के बीच कोई विरोधाभास नहीं दिखता है, परंतु यदि पत्र पेटेंट और सिविल प्रक्रिया संहिता के बीच कोई विरोधाभास होता है तो पत्र पेटेंट के प्रावधान हमेशा अभिभावी रहेंगे, जब तक कि कोई विशिष्ट अपवर्जन न हो। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 से भी स्पष्ट है, जिसमें प्रावधान है कि संहिता में कुछ भी किसी विशेष कानून को सीमित या प्रभावित नहीं करेगा। जैसा कि सि.प्र.सं. की धारा 4 में उपवर्णित है, केवल इसके विपरीत एक विशिष्ट प्रावधान ही विशेष कानून को अपवर्जित कर सकता है। विशिष्ट प्रावधान धारा 100-क जैसा प्रावधान होगा।''*

(ज़ोर दिया गया)

22. पूर्वोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि दि.उ.न्या. नियम, 2018 के अध्याय VI। के नियम 3 के प्रावधान जिसके लिए अपेक्षित है कि दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को लिखित बयान के साथ दायर किया जाएगा, जिसके बिना लिखित बयान अभिलिखित नहीं किया जाएगा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सि.प्र.सं. के आदेश XI के प्रावधानों पर एक अध्यारोही प्रभाव होगा। अतः दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र के अभाव में, अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

23. यहां ऊपर चर्चा किए गए कानून को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि दि.उ.न्या. नियम, 2018, एक विशेष कानून होने के नाते, सि.प्र.सं. पर लागू होगा, जैसा कि

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम केवल सि.प्र.सं. में संशोधन अंतर्लिखित करता है। सि.प्र.सं. एक सामान्य नियम होने के कारण दि.उ.न्या. नियम, 2018 पर अभिभावी नहीं होगा, जो एक विशेष कानून की प्रकृति में है।

24. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 इस न्यायालय को अपने सामान्य मूल सिविल क्षेत्राधिकार के प्रयोग हेतु पद्धति और प्रक्रिया के संबंध में अपने नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अलावा, सि.प्र.सं. की धारा 129 उच्च न्यायालयों को अपने मूल सिविल क्षेत्राधिकार की प्रक्रियाओं को विनियमित करने हेतु नियम बनाने का भी अधिकार प्रदान करती है, जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा बनाए गए दि.उ.न्या. नियम सि.प्र.सं. के प्रावधानों पर अभिभावी होंगे।

25. तदनुसार, लिखित बयान से संबंधित मुद्दों के प्रयोजनों के लिए, दि.उ.न्या. नियमों के नियम और अध्याय लागू होंगे, न कि सि.प्र.सं. के आदेश और नियम। इसलिए, अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 का अभिवाक् कि सि.प्र.सं. के तहत प्रावधान, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अनुसार संशोधित, दि.उ.न्या. नियमों पर लिखित बयान दायार करने को नियंत्रित करेंगे, कानून में असमर्थनीय है।

26. चूंकि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 दि.उ.न्या. नियम, 2018 के अध्याय VII नियम 3 के संदर्भ में दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को दायर करने में विफल रहा है, इसलिए उसकी ओर से दायर लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को दायर करने में विफल रहा है, इसलिए वादी द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों को स्वीकृत माना जाएगा।

27. ***यूनिलिन बहीर बीवी बनाम बालाजी एक्शन बिल्डवेल*** के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र के बिना लिखित बयान दायर किए जाने की स्थिति में, लिखित बयान अभिलिखित नहीं किया जाएगा और वादी द्वारा दायर दस्तावेजों को स्वीकृत माना जाएगा। इस प्रकार, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

> *"23. विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या लिखित बयान के साथ दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को दायर न करने का एकमात्र परिणाम वादी द्वारा दायर दस्तावेजों का है जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है या लिखित बयान अभिलिखित नहीं किया जा रहा है और प्रतिवादी एक प्रतिवादी की स्थिति में है जिसने लिखित बयान दायर नहीं किया है।*
>
> ***XXX XXX XXX***
>
> *31. मैं इस प्रकार अभिनिर्धारित करता हूं, कि* ***<u>दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को दायर किए बिना लिखित बयान दायर किए जाने की स्थिति में, न केवल लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जाएगा, किंतु वादी द्वारा दायर दस्तावेजों को भी स्वीकृत किया जाएगा और जिसके आधार पर न्यायालय सि.प्र.सं. के आदेश VIII नियम 10 के तहत कार्यवाही करने का हकदार होगा।</u>"***
>
> ***(ज़ोर दिया गया)***

28. इसी प्रकार का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा ***ओडियन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एन.बी.सी.सी. (इंडिया) लिमिटेड*** और ***मयंक गुप्ता बनाम आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड*** के मामले में अपनाया गया है, जिसमें यह दोहराया गया है कि जब लिखित बयान के साथ दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को दायर नहीं किया गया है, तो लिखित बयान को अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

29. यह न्यायालय उल्लेख करता है कि दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान के शपथ-पत्र को अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा आज तक भी दायर नहीं किया गया है। परंतु यह प्रस्तुत किया गया है कि दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र

अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 के पास तैयार है, यद्यपि, चूंकि दस्तावेजों के अपठनीय होने से इंकार कर दिया गया है, इसलिए इसे दायर करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 के मामले में भी ऐसा नहीं है कि दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र बाद में दायर किया गया हो। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा आज तक दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर नहीं किया गया है। इसलिए, अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से दायर लिखित बयान को भलीभांति अभिलेख से हटा दिया गया है।

30. अपीलार्थी/प्रतिवादी सं.1 की ओर से लिखित बयान या इसी प्रकार के किसी अन्य आवेदन के साथ स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर करने को निदिष्ट करने वाले इस न्यायालय के आदेश के उपांतरण हेतु अंतर.आ. सं.6861/2018 होने के नाते आवेदन दायर करना, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम, 2018 के अध्याय VII नियम 3 के तहत लिखित बयान के साथ दस्तावेजों की स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ-पत्र दायर करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है।

31. यहां ऊपर दी गई विस्तृत चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान अपील में कोई गुनानागुन नहीं पाए गए है। तदनुसार इसे लंबित अंतर.आ.15132/2019 के साथ खारिज किया जाता है।

<u>सि.वा.(वाणि.) 844/2017</u>

32. 20 अक्टूबर, 2023 को रोस्टर बेंच के समक्ष निर्देशों हेतु सूचीबद्ध करें।

(मिनी पुष्कर्णा)
न्यायाधीश

06 अक्टूबर, 2023/एके/सी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*